

क्रमांक / 634 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/03/2014

प्राचार्य / संचालक
विष्ण्या शिक्षा समिति कॉलेज,
प्लॉट नं.-52/3, ग्राम व पो. खेड़ी, तह. मण्डला
जिला-मण्डला (म.प्र.)-481661

विषय:- डी.एड. नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 र बंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था के द्वारा संबद्धता शुल्क रूपये 15,000/- के चालान दिनांक 17.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 384 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः सम्बद्धता निर्देश क्र. -586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
2. आवेदन पत्र के साथ संचालक मण्डल एवं शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं किन्तु उक्त छायाचित्रों में स्टाफ एवं संचालक मण्डल के नाम व पद अंकित नहीं हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति का अन्तर की राशि रूपये 15,000/- के चालान की मूलप्रति एवं बिन्दु क्र.-02 अनुसार छायाचित्र दिनांक 19.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबद्धता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर सभी सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।


सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृष्ठांकन क्र./635/ डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27/03/2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर को ओर प्रेषित कर निर्देश है कि रांथा को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।


सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

O/C COP



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
फ़ोन नंबर - (0755) 2551660, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 658 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 / 03 / 2014


प्राचार्य/रांचालक
परमहंस महाविद्यालय,
लॉट नं.-278, गली नं.-02,
ग्राम घो. व तह. नरसिंहपुर,
जिला-नरसिंहपुर (ग्र.)-487001


विषय:- डी.एड. नवीन संबंधता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- प्राप्ते हारा प्रस्तुत संबंधता संबंधी 31 अप्रैल दिनांक 04.03.2014

— / —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबंधता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

- संस्था के द्वारा संबंधता शुल्क रूपये 15,000/- के चालान दिनांक 18.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 390 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निराकृत कर अमान्य किया जा चुका है। अतः संबंधता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के एक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
- संस्था द्वारा संचालक मण्डल एवं शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद का उल्लेख सहित छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।





O/C COP



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
 ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbose.nic.in
 फ़ोन - (0755) 2551650, 2761567 फ़ोक्स (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 658 / डी.एड.सेल / 2014
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 / 03 / 2014

प्राचार्य/रांचालक
 पश्महस महाविद्यालय,
 लॉट नं.-278, गली नं.-02,
 ग्राम खो. व तह. नरसिंहपुर,
 जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)-487001

विषय:- डी.एड. नवीन संबंद्हता सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
 संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंद्हता संबंधी ३ वेदन दिनांक 04.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबंद्हता सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

- संस्था के द्वारा संबंद्हता शुल्क रूपये 15,000/- के चालान दिनांक 18.04.2013 की मूल प्रति संलग्न की गई है किन्तु उक्त 15,000/- के चालान पर पूर्व में ही निर्णय लिया जाकर संस्था द्वारा सत्र 2013-14 हेतु पूर्व में प्रस्तुत आवेदन मण्डल के पत्र क्रमांक 390 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निर्गृह कर अमान्य किया जा चुका है। अतः संबंद्हता निर्देश क्र.-586 दिनांक 22.02.2014 द्वारा उक्तानुसार जमा राशि मण्डल के पक्ष में राजसात की जा चुकी है। संस्था से अंतर की राशि रूपये 15,000/- का चालान अप्राप्त है।
- संस्था द्वारा संचालक मण्डल एवं इंशानिक स्टाफ के नाम एवं पद का उल्लेख सहित छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमी की पूर्ति कर अन्तर की राशि रूपये 15,000/- के चालान की मूलप्रति रवं बिन्दु क्र.-02 अनुसार छायाचित्र दिनांक 09.04.2013 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबंद्हता सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
 भोपाल

पृष्ठांकन क्र./659/ डी.एड.सेल / 2014
 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03 / 03 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, भा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
 भोपाल

O/C COPY



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

फ़ॉक्स : ८०४०- (०७५६) २६६१६५०, २७१५६७ फ़ॉक्स - (०७५६) २६६१४९९, २६६२०६१

क्रमांक / ६५८ / डी.एड.सेल / २०१४
प्रति.

भोपाल, दिनांक ०३ / ०३ / २०१४

प्राचार्य / संचालक

स्वामी दिवेशनन्द आडियल ट्रेनिंग कॉलेज,
प्लॉट नं. / खसरा नं.-३१७, गली नं.
एच. नं.-३४, ग्राम धनबंती नगर,
पो. गढ़ा, तह. जबलपुर,
जिला-जबलपुर (म.प्र.)-४८२००१

विषय:- डी.एड. नवीन संबंद्हता सत्र २०१४-१५ संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंद्हता संबंधी आवेदन दिनांक १८.०२.२०१४ एवं ०८.०३.२०१४

विषयान्तर्गत लेख डि कि डी.एड. पाठ्यक्रम नवीन संबंद्हता सत्र २०१४-१५ हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के रालग्न दस्तावेजों के रूप क्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

१. संस्था द्वारा मण्डल के निर्धारित नवीन संबंद्हता संबंधी प्रारूप पर संस्था के अध्यक्ष / सचिव द्वारा हस्ताक्षरित संबंद्हता आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
२. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. से संस्था को जारी मान्यता संबंधी आदेश की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। लेख है कि संस्थान को एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता संबंधी आदेश की राज पत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
३. आवेदन पत्र के साथ संचालक मण्डल एवं शिक्षक गणों से युक्त संस्था भवन के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं। किन्तु छायाचित्र में शिक्षक गणों के नाम एवं पद नाम का उल्लेख नहीं है एवं संस्था का नाम बैनर पर लिखकर टांगा गया है। संस्था के भवन पर संस्था का नाम अंकित नहीं है। लेख है कि संस्था भवन के सामने से लिये गये छायाचित्र जिसमें सम्पूर्ण भवन प्रवेश द्वारा स्पष्ट दिखाई दें एवं उक्त छायाचित्रों की पृष्ठ भूमि में संस्था के संचालक मण्डल एवं संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ के नाम एवं पद युक्त पृथक-पृथक छायाचित्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित कमियों की पूर्ति कर दिनांक ०९.०४.२०१३ तक संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा नवीन संबंद्हता सत्र २०१४-१५ संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य माना जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक ०३ / ०३ / २०१४

पृष्ठांकन क्र./ ६५८ / डी.एड.सेल / २०१४

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल